

प्रेस- विज्ञप्ति13 उपनिरीक्षक पदोन्नत होकर बने निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक ने स्टार लगाकर दी बधाई

दिनांक- 27.07.2022 को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप जनपद आजमगढ़ के 13 उप-निरीक्षकों को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसके क्रम में आज दिनांक- 29.07.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय आजमगढ़ में 13 उप-निरीक्षकों के कंधों पर तीन स्टार लगाकर बधाई दी गयी। पदोन्नति पाने वालों में 1. मनोज कुमार (पुलिस लाइन्स), 2. निशांत जमॉ खॉ (कंधरापुर), 3. सूर्यवंश यादव (पुलिस लाइन्स), 4. यशवन्त सिंह (अतरौलिया), 5. संजय कुमार सिंह (सरायमीर), 6. महेन्द्र कुमार (जीयनपुर), 7. राकेश कुमार सिंह (मेहनाजपुर), 8. घनश्याम यादव (जहानागंज), 9. राज कुमार सिंह (थाना प्रभारी कंधरापुर), 10. शमशेर यादव (बरदह), 11. योगेन्द्र प्रसाद सिंह (देवगांव), 12. राजेश कुमार (जीयनपुर), 13. अशोक दत्त त्रिपाठी (निजामाबाद) में वर्तमान तैनाती है और पुलिस अधीक्षक ने उम्मीद जताई कि पदोन्नति पाने वाले 13 पुलिस निरीक्षक समाज से बेहतर तालमेल कर काम करेंगे और विभाग की गरिमा बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ भी मौजूद रहें।

थाना- कोतवाली

चोरी की मोबाईल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

प्रभारी निरीक्षक डी.के. श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चेकिंग के दौरान करतालपुर तिराहा से उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराहियान द्वारा एक नफर अभियुक्त पीयूष उपाध्याय पुत्र जगदीश उपाध्याय ग्राम हरैया थाना कोतवाली आजमगढ़ को दिनांक 28.7.22 को समय 16.30 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि वादी **विक्की चौहान पुत्र श्री राजकुमार चौहान सा0 कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़** द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 311/22 धारा 323/504/506/452/379/411 भादवि बनाम **1.पीयूष उपाध्याय पुत्र जगदीश उपाध्याय सा0 हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 2.दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात** पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

**पीयूष उपाध्याय पुत्र जगदीश उपाध्याय सा0 हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़**

बरामदगी - एक नीले रंग का नोकिया किपैड मोबाइल बरामद व एक बुलेट मोटर साइकिल 207 एमवी एक्ट में सीजा

थाना तहबरपुर से अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में तथा थाना अतरौलिया में 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

- 1- थाना तहबरपुर- दिनांक 28.07.2022 को व0उ0नि0 शमशाद अली मय हमराह द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पुल के अण्डर पास में चेकिंग के दौरान 01 बाल अपचारी एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस के साथ समय करीब 18.05 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 148/22 धारा 09/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।
- 2- थाना अतरौलिया- दिनांक 20.07.2022 को वादी/ पीड़ित थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि प्रातः 07.30 बजे अपने लड़की को विद्यालय छोड़कर वापस आ रहे थे तभी रास्ते में 1. आनिष पुत्र रमजान 2. बाल अपचारी 3. ऐजाज अली पुत्र पीर मोहम्मद निवासीगण ग्रा0 मुण्डेरा ने वादी को रोका और बोले तुम भजन क्यों गा रहे हो इसी बात को लेकर वादी को गन्ने के खेत में ले जाकर सिर पर बुरी तरह चोट करने के बाद प्रार्थी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किए। वादी द्वारा विरोध करने पर गमछे से मुँह बंदकर तार से बुरी तरह पिटाई किए। जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 247/22 धारा 323/342/377/511 IPC दिनांक 20.07.22 को पंजीकृत किया गया था। जिसमें बाद विवेचना और बयान वादी धारा 164 CrPC से धारा 377 IPC का लोप व धारा 307 IPC की बढ़ोत्तरी की गयी।

आज दिनांक-29.07.2022 को उ0नि0 प्रभात चन्द पाठक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बालअपचारी/आरोपी को तेजापुर मोड़ के पास से समय करीब 12.25 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अन्य नामजद अभियुक्तों का गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

**प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह गैंग के सहयोगी 02 अपराधियों की खोली गयी हिस्ट्रीशीट**

आज दिनांक – 29.07.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना प्रभारी जीयनपुर के आख्या के आधार पर प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह गैंग के सहयोगी 02 अपराधियों के आपराधिक क्रिया- कलापों पर सतत निगरानी हेतु हिस्ट्रीशीट खोली गयी। विवरण निम्नवत है-

- 1- अभियुक्त सूफियान पुत्र जुम्न निवासी समुन्द्रपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ विरुद्ध थाना जीयनपुर पर कुल 02 मुकदमें पंजीकृत है, अभियुक्त द्वारा हत्या के प्रयास, मारपीट जैसी घटना कारित किया गया है, अभियुक्त एक अपराधी एवं शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा आम जनता के व्यक्तियों को डरा-धमकाकर मारपीट कर जनता में दहशत फैलाना इसकी आम शोहरत है तथा अपराधी के रूप में उभरकर अपराध करने में लिप्त है।
- 2- अभियुक्त मोहसीन उर्फ टीपू पुत्र आलमगीर निवासी अतरकच्छा, थाना- जीयनपुर आजमगढ़ विरुद्ध थाना जीयनपुर पर कुल 04 मुकदमें पंजीकृत है, पूर्व में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जा चुकी है। अभियुक्त द्वारा मारपीट व रंगदारी जैसी घटना कारित किया गया है, अभियुक्त एक अपराधी एवं शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा आम जनता के व्यक्तियों को डरा-धमकाकर मारपीट कर जनता में दहशत फैलाना इसकी आम शोहरत है तथा अपराधी के रूप में उभरकर अपराध करने में लिप्त है।

**प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी एवं साहजमा उर्फ नैय्यर गैंग के सक्रिय सदस्य के 02 अपराधियों की खोली गयी हिस्ट्रीशीट**

आज दिनांक – 29.07.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना प्रभारी बरदह के आख्या के आधार पर प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी एवं साहजमा उर्फ नैय्यर गैंग के सक्रिय सदस्य, 02 अपराधियों के आपराधिक क्रिया- कलापों पर सतत निगरानी हेतु हिस्ट्रीशीट खोली गयी। विवरण निम्नवत है-

- 1- अभियुक्त मॉज खा पुत्र खलीकुज्जमा निवासी मुहम्मदपुर फेटी थाना बरदह, आजमगढ़ विरुद्ध थाना जीयनपुर पर कुल 04 मुकदमें पंजीकृत है, पूर्व में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जा चुकी है। अभियुक्त द्वारा हत्या व मारपीट जैसी घटना कारित किया गया है, अभियुक्त एक अपराधी एवं शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा आम जनता के व्यक्तियों को डरा-धमकाकर मारपीट कर जनता में दहशत फैलाना इसकी आम शोहरत है तथा अपराधी के रूप में उभरकर अपराध करने में लिप्त है।
- 2- अभियुक्त फखल जमां खा पुत्र अशरफ जमा खां निवासी मुहम्मदपुर फेटी, थाना बरदह आजमगढ़ विरुद्ध थाना जीयनपुर पर कुल 03 मुकदमें पंजीकृत है, पूर्व में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जा चुकी है। अभियुक्त द्वारा हत्या के प्रयास व मारपीट जैसी घटना कारित किया गया है, अभियुक्त एक अपराधी एवं शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा आम जनता के व्यक्तियों को डरा-धमकाकर मारपीट कर जनता में दहशत फैलाना इसकी आम शोहरत है तथा अपराधी के रूप में उभरकर अपराध करने में लिप्त है।

**पुलिस अधीक्षक ने 05 अपराधियों के विरुद्ध खोली हिस्ट्रीशीट**

आज दिनांक – 29.07.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना प्रभारी बिलरियागंज, थाना प्रभारी गम्भीरपुर के आख्या के आधार पर कुल 05 अपराधियों के आपराधिक क्रिया- कलापों पर सतत निगरानी हेतु हिस्ट्रीशीट खोली गयी। जिसमें थाना फूलपुर से गोकशी व हत्या के प्रयास में 02, थाना मेंहनगर से दुष्कर्म में 01, थाना बिलरियागंज से गोकशी में 01 तथा थाना दीदारगंज से लूट में 01 है। विवरण निम्नवत है-

1. अभियुक्त अबुजर उर्फ पप्पू पुत्र हसनैन उर्फ बुद्धू निवासी न्यूरानाजिर थाना फूलपुर, आजमगढ़ ( गोकशी)
2. अभियुक्त अजीम उर्फ खरहा पुत्र निवासी अलीम उर्फ हलीम निवासी जगदीशपुर, थाना फूलपुर, आजमगढ़ (हत्या का प्रयास)
3. अभियुक्त दीनाराम पुत्र स्व0 सतई राम निवासी पलिया सोफीगंज, थाना मेंहनगर, आजमगढ़ (दुष्कर्म)
4. अभियुक्त राजू उर्फ तौसीफ पुत्र मो0 आरिफ निवासी छिछोरी, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़ (गोकशी)
5. अभियुक्त राम अवतार राजभर पुत्र रमेश राजभर निवासी चितारा महमूदपुर, थाना दीदारगंज, आजमगढ़ (लूटेरा)